1

GS PAPER – III

INTERNAL SECURITY

Various Security forces and agencies and their mandate

2

UPSC - CSE में पूछे गए प्रश्न

3

- भारत द्वारा सामना की जाने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं? ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए नियुक्त केन्द्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियों की भूमिका बताइए। 250/15/2023

4

- भारत सरकार ने हाल ही में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यू.ए.पी.ए.), 1967 और एन.आइ.ए. अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मजबूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में, परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। 250/15/2019

5

- मानवाधिकार सक्रियतावादी लगातार इस विचार को उजागर करते रहे हैं कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (ए.एफ.एस.पी.ए.) एक क्रूर अधिनियम है, जिससे सुरक्षा बलों के द्वारा मानवाधिकार दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधिनियम की कौन-सी धाराओं का सक्रियतावादी विरोध करते हैं? उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यक्त विचार के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 200/12.5/2015

6

- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) पर एक टिप्पणी लिखिए। (2010)
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा निर्मित मसौदा नाभिकीय सिद्धान्त की मुख्य बातें क्या हैं? इस सम्बन्ध में मीडिया रिपोर्टों में किन कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है? (1999)

7

UP PCS में पूछे गए प्रश्न

8

- भारतीय सुरक्षा बलों को अधिक सशक्त कैसे बनाया जा सकता है? अपने सुझाव दीजिये। 125/8/2023
- वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकता है? इसको समझाइये। 200/12/2020

9

- 2019 के मानसून सत्र में संसद ने आतंक विरोधी कानून और सूचना के अधिकार में संशोधन किया है। इन संशोधन के फलस्वरूप क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं? विश्लेषण करें। (2019)
- भारत में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) के गठन और कार्य का वर्णन कीजिए। (2019)

10

भारत में सुरक्षाबल एवं संस्थाएँ और उनके अधिदेश

11

भारत में सुरक्षाबल एवं संस्थाएँ और उनके अधिदेश

- सुरक्षाबल एवं एजेंसियों की संरचना
  - राज्य स्तर पर
    - सुरक्षाबल
    - जाँच एवं आसूचना एजेंसियाँ
  - केन्द्र स्तर पर
    - गृह मंत्रालय (आंतरिक सुरक्षा)
      - विभाग एवं प्रभाग
      - केन्द्रीय सशस्त्र बल
      - जाँच एवं आसूचना एजेंसियाँ
      - अन्य एजेंसियाँ
    - रक्षा मंत्रालय (बाह्य सुरक्षा)
- सुरक्षाबल एवं एजेंसियों के समक्ष चुनौतियाँ
- चुनौतियों के समाधान हेतु किए गए प्रयास
  - संवैधानिक एवं कानूनी प्रयास
  - आयोग एवं परिषद्
  - विभिन्न समितियाँ
  - नीतिगत एवं योजनागत प्रयास
  - अन्य प्रयास
- मूल्यांकन एवं सुझाव

12

राज्य स्तर पर

गृह मंत्रालय
(आंतरिक सुरक्षा)

13

1. राज्य पुलिस बल

19,89000

14

2. राज्य सशस्त्र पुलिस बल

4,75,000

15

3. Home Guard

(1966)

5,73,793

16

4. STF

17

5. CID

Investigation & Intelligence Agency

18

6. कुल पुलिस स्टेशन - 15,579
7. कुल महिला पुलिस स्टेशन - 613
8. कुल साइबर सेल - 114
9. कुल महिला पुलिस - 1,40,000
10. प्रतिलाख आबादी पर पुलिस संख्या - 123

19

केन्द्रीय स्तर पर

गृह मंत्रालय
(आंतरिक सुरक्षा)

20

21

गृह मंत्रालय (आंतरिक सुरक्षा)

- विभाग एवं प्रभाग
- केन्द्रीय सशस्त्र बल
- जाँच एवं आसूचना एजेंसियाँ
- अन्य एजेंसियाँ

26

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (National Security Council) - 1998

- मुख्य कार्यकारी - प्रधानमंत्री
- प्रमुख कार्य - देश की रानीतिक, आर्थिक, ऊर्जा तथा सामरिक सुरक्षा चिंताओं की देख-रेख करना

22

विभाग एवं प्रभाग

27

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

NSC के कार्यकारी (PM) को सुरक्षा संबंधी सुझाव देते हैं

वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार → अजित डोभाल

23

1. प्रशासन प्रभाग
2. आंतरिक सुरक्षा प्रभाग
3. केन्द्र-राज्य प्रभाग
4. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख मामले विभाग
5. सीमा प्रबंधन प्रभाग

28

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड

विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का समूह जो देश में सुरक्षा संबंधित नीतियों के निर्माण हेतु सलाह/सुझाव/प्रस्ताव प्रस्तुत करता है

24

6. वामपंथी उग्रवाद प्रभाग
7. पुलिस प्रभाग
8. पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग
9. पूर्वोत्तर प्रभाग
10. आपदा प्रबंधन प्रभाग

29

केन्द्रीय सशस्त्र बल

A. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल-5
CRPF, ITBP, SSB, BSF, CISF

B. केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल
असम रायफल्स, राष्ट्रीय रायफल्स, SFF

25

11. मानवाधिकार प्रभाग
12. नीति नियोजन प्रभाग
13. साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग
14. आतंकवाद रोधी एवं कट्टरवादरोधी प्रभाग
15. महिला सुरक्षा प्रभाग

30

1. Assam Rifles

(1935-1917)

63,747

31

CRPF

2. CRPF (1939 - 1949) 3,19,501

32

ITBP

3. ITBP (1962) 89,433

33

SSB

4. SSB (1963 - 2001) 77,080

34

5. BSF (1965) 2,56,701

35

6. CISF (1969) 1,50,810

36

7. IRB 1971 66,000

37

8. NSG (1984)

38

9. RAF (CRPF) (1991 - 92)

39

10. तटीय पुलिस (MHA) 12,000

40

11. RPF (MR) before 1947 65,000

41

रक्षा मंत्रालय
भारतीय सशस्त्र बल

46

India Army

- 13,25,000 (Active)
- 21,43,000 (Reserve)

42

रक्षा मंत्रालय – भारतीय सशस्त्र बल

- India Army
- Indian Navy
- Indian Air Force
- Others

47

India Army

- Headquarter - New Delhi
  1. Central Command - Lucknow
  2. Eastern Command - Kolkata
  3. Northern Command - Udhampur
  4. Southern Command - Pune
  5. South Western Command - Jaipur
  6. Western Command - Chandimandir
  7. Army Training Command - Shimla

43

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS)

24 दिसम्बर 2019 को CDS पद का सृजन
1 जनवरी 2020 को जनरल विपिन रावत प्रथम CDS नियुक्त यह भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पेशेवर त्रिसेना प्रमुख और भारत सरकार के वरिष्ठतम वर्दीधारी सैन्य सलाहकार हैं
(एक चार सितारा जनरल एवं त्रिकोणीय सेना प्रमुख)

48

Indian Air Force

- 127200 (Active)
- 1704 (Reserve)

44

कार्य

1. रक्षा बलों का नेतृत्व
2. भारत सरकार के रक्षा मंत्री को सैन्य सलाह
3. परमाणु कमान प्राधिकरण के लिये प्रधानमंत्री को सैन्य सलाह

49

Indian Air Force

- Headquarter - New Delhi
  1. Central Air Command - Allahabad
  2. Eastern Air Command - Shillong
  3. Southern Air Command - Thiruvananthapuram
  4. South Western Air Command - Gandhi Nagar
  5. Western Air Command - New Delhi
  6. Training Command - Bangolore

45

4. सेना के तीनों अंगों के मध्य समन्वयक
5. रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद के सदस्य
6. चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष
7. CDS किसी भी सैन्य कमांड का प्रयोग नहीं करेगा

50

Indian Navy

98350 (Active)

51

Indian Navy

- Headquarter - New Delhi
1. Western Naval Command - Mumbai
2. Eastern Naval Command - Visakhapatanam
3. Southern Naval Command - Kochi

52

Others

1. NCC (1948) 13,00,000

53

2. TA (1949) 40,000

54

3. SFF (1962) 10,000

55

4. ICG (1978) 13,842

56

5. RR (1990) 80,000

57

रक्षा बजट (2024)

1. भारत – 74.8 Billion US Dollar
2. चीन – 700 Billion US Dollar
3. पाकिस्तान – 6.47 Billion US Dollar

58

भारत – चीन – पाकिस्तान सैन्य क्षमता : तुलना

59

भारत–चीन–पाकिस्तान सैन्य क्षमता : तुलना

	India	Pakistan	China
(Active force)	13,25,000	6,20,000	23,00,000
(Reserve force)	21,43,000	5,15,000	32,50,000
(Tank)	6464	2924	9150
(Rocket Launcher)	292	134	1770
(Helicopter)	646	306	802
(Fighter Plane)	629	304	1066
(All Type Aircraft)	2086	923	2942
(Attack Aircraft)	809	394	1311
(Aircraft Carriers)	02	0	01
(Ship)	295	228	778
(Submarines)	13+1	05	68
(Nuclear Powered Submarines)	01	0	10
(Nuclear Missile)	100	120	260

60

केन्द्रीय स्तर पर जाँच एवं आसूचना एजेंसियाँ

61

1.

IB

(Intelligence Bureau)

1887-1968

भारत में खुफिया कार्यों का संपादन और 1968 के बाद भारत के आंतरिक सुरक्षा संबंधित कार्यों का संपादन

62

Research and Analysis Wing of India

2.

अनुसन्धान और विश्लेषण विंग

1968

भारत की अन्तर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था जिसका प्रमुख कार्य है - सूचना एकत्रित करना, आतंकवाद को रोकना एवं गुप्त ऑपरेशन को संचालित करना

63

3.

CBI

(Central Bureau of Investigation)

1941-1963

64

4.

NIA

(National Investigation Agency)

2009

65

5.

BPR & D

(Bureau of Police Research and Development)

1970

66

प्रमुख कार्य

1. पुलिस की जरूरत एवं समस्या का पता लगाना
2. इस दिशा में समुचित अनुसंधान करना
3. नवीन चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देना
4. पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर बल देना

67

6.

NCRB

(National Crime Records Bureau)

1986

68

प्रमुख कार्य

देश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपराध के आँकड़ों का एकत्रीकरण करना

69

7.

NCB

(Narcotics Control Bureau)

1986

70

Law Enforcement Agency

प्रमुख कार्य

- ड्रग्स उत्पादन एवं विक्रय पर रोक लगाना
- नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना एवं इससे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का क्रियान्वयन करना

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

71

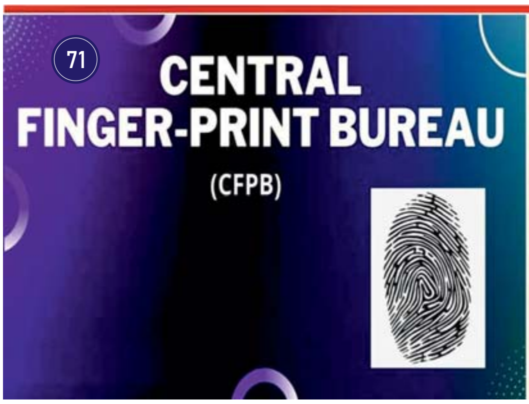

8.

CFPB

(Central Finger Print Bureau)

1955

72

यह अपराधियों के फिंगर प्रिंटिंग की खोज का एक देशव्यापी डाटाबेस है और इसको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा परिकल्पित एवं प्रबंधित किया जाता है

73

9.

DIT

(Department of Income Tax)

1922

भारत सरकार का प्रत्यक्ष कर संग्रह करने वाली एक एजेंसी है

74

10.

DRI

(Directorate of Revenue Intelligence)

1957

यह एक भारतीय खुफिया एजेंसी है जो तस्करी विरोधी खुफिया, जाँच एवं ऑपरेशन का कार्य करती है

75

11.

CEIB

(Central Economic Information Bureau)

1985

76

1. एक आसूचना एजेंसी

2. प्रमुख कार्य–
काले धन की सूचना एकत्रित करना और आर्थिक अपराध पर नजर रखना

77

12.

FIU

(Financial Intelligence Unit)

2004

78

1. एक जाँच एजेंसी एवं आसूचना एजेंसी

2. प्रमुख कार्य
संदेहास्पद लेन-देन की सूचना प्राप्त करना, विश्लेषण करना एवं समाधान करना

79

3. यह तीन तरह की Reporting हेतु आदेश जारी करती है–

- नगदी लेन-देन की रिपोर्ट
- संदेहास्पद लेन-देन की रिपोर्ट
- नकली मुद्रा रिपोर्ट

80

13.

ED

(Directorate of Enforcement)

1956-57

81

14.

CFSL

(Central Forensic Science Lab)

1967

82

15.

NICFS

(National Institute of Criminology & Forensic Science)

1972

83

NATIONAL INTELLIGENCE GRID (NATGRID)

16.

NATGRID

2014

84

1. राष्ट्रीय स्तर का डाटा संग्रहण केन्द्र
2. प्रमुख लक्ष्य- आतंकियों की घुसपैठ रोकना
3. प्रमुख कार्य- राष्ट्रविरोधी गतिविधियों / आतंकवाद में संलग्न घरेलू एवं विदेशी व्यक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराना
4. इसमें NIA सहित 11 जाँच एजेंसियों को समन्वित किया गया है

85

17.

CCTNS

2019

86

1. *Crime & Criminal Tracking Network System* मार्च 2019 से प्रारंभ
2. एकीकृत, राष्ट्रव्यापी नेटवर्क जिसमें अपराध संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाएगा
3. गृह मंत्रालय के अधीन e-governance की मिशन परियोजना

87

प्रमुख कार्य

- रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण
- पुलिस कार्यालय प्रक्रिया का स्वचालन
- IT का प्रयोग करके कार्यप्रणाली में सुधार
- देश के लगभग 15 हजार पुलिस स्टेशनों एवं 6 हजार बड़े कार्यालयों को एक एकीकृत, केन्द्रीकृत एवं राष्ट्रीय प्रणाली से जोड़ा जा रहा है

88

Central Bureau of Investigation (CBI)
स्वायत्ता का मुद्दा

89

Central Bureau of Investigation (CBI) – स्वायत्ता का मुद्दा

- परिचय
- प्राप्त अधिकार
- CBI संबंधित विवाद का मुद्दा
- CBI के स्वायत्ता के विपक्ष में तर्क
- CBI के स्वायत्ता के पक्ष में तर्क
- समीक्षा एवं CBI के स्वायत्ता का स्वरूप/ सुझाव

90

परिचय

91

1. DSPE ACT 1946 के तहत गठन
2. 1963 में CBI नामकरण
3. 1968 के बाद आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कार्यों का संपादन

92

प्राप्त अधिकार

93

1. FIR दर्ज करने का अधिकार
2. अपराधिक जाँच एवं गिरफ्तारी का अधिकार
3. राज्य के ऊपर विशेषाधिकार
4. विशेष न्यायालय के गठन का अधिकार
5. भारत में INTERPOL की इकाई के रूप में कार्य

94

CBI संबंधित विवाद का मुद्दा

95

1. DSPE Act के अनुसार संयुक्त सचिव एवं ऊपर के अधिकारियों की जाँच हेतु सरकार की अनुमति आवश्यक
2. केन्द्र सरकार पर आर्थिक निर्भरता
3. केन्द्र सरकार पर प्रशासनिक निर्भरता

- फलतः सरकार पर CBI के दुरुपयोग का आरोप
- फलतः CBI का स्वायत्ता देने की मांग और SC द्वारा समर्थन

96

CBI के स्वायत्ता के विपक्ष में तर्क

97

1. शक्ति के दो ध्रुवों का विकास – फलतः टकराव
2. शक्ति के केन्द्रीकरण को बढ़ावा – फलतः निरंकुशता
3. लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरूद्ध

98

CBI के स्वायत्ता के पक्ष में तर्क

99

1. निष्पक्ष जाँच संभव होगी व न्याय को बढ़ावा मिलेगा
2. वर्तमान संदर्भ में विधि प्रवर्तन व आंतरिक सुरक्षा हेतु स्वायत्ता आवश्यक है
3. जनता में CBI की विश्वसनीयता के लिए स्वायत्ता आवश्यक है
4. किसी संस्था के विशेषाधिकार का दुष्परिणाम कर्त्तव्यहीनता का दुष्परिणाम होता है न कि विशेषाधिकार का

100

निष्कर्ष एवं सुझाव

CBI को नियंत्रित स्वायत्ता मिलनी चाहिए

101

CBI के स्वायत्ता का स्वरूप / सुझाव

1. उच्च पद के अधिकारियों के जाँच हेतु सरकारी अनुमति की समाप्ति हो (2014 में SC के निर्णय द्वारा समाप्त)

102

2. निदेशक एवं अन्य पदों पर नियुक्ति एक स्वतंत्र पैनल द्वारा हो (DSPE Act, 2013 के द्वारा CBI के निदेशक की नियुक्ति एक स्वतंत्र पैनल द्वारा प्रारंभ - पैनल के सदस्य हैं- PM, विपक्ष का नेता, उच्चतम न्यायालय का मुख्य या अन्य न्यायधीश)

3. वेतन एवं खर्चे संचित निधि पर भारित हो

103

4. निदेशक को SC की अनुमति से हटाया जाय

5. निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति के बाद अन्य पदों पर नियुक्ति पर रोक लगे

104

6. भ्रष्टाचार के अलावा अन्य मामलों में भी शिकायत पर CBI को सीधी कार्यवाही का अधिकार दिया जाय और इस हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार से अनुमति लेने के प्रावधान को समाप्त किया जाय

7. CBI के वार्षिक रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाए

105

National Investigation Agency (NIA)

106

परिचय

107

1. CBI के बाद दूसरी ऐसी संस्था जिसे राज्य की अनुमति के बिना जाँच करने का अधिकार

2. नवम्बर, 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद 'राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008' द्वारा 2009 में गठन

108

प्राप्त अधिकार

109

1. राज्य के बिना अनुमति के आतंकवाद से निपटने की शक्ति प्राप्त

2. FIR दर्ज करने, गिरफ्तार करने, जब्ती करने की शक्ति प्राप्त

3. विशेष न्यायालय के गठन की शक्ति प्राप्त

110

प्रमुख कार्य

111

1. आतंकवाद का मुकाबला करना, संभावित आतंकी समूहों एवं इनकी गतिविधियों का पता लगाना
2. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यबल का विकास करना

112

3. आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं का डाटा बेस बनाना
4. अन्य देशों में आतंकवाद से संबंधित कानून का अध्ययन एवं उनके अनुरूप भारतीय कानून की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना

2019 में NIA संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया और NIA के कार्यों को विस्तारित किया गया; जैसे–

113

1. NIA को कुछ अतिरिक्त अपराधों की जांच का अधिकार दिया गया–
   - मानव तस्करी
   - जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध
   - प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री
   - साइबर आतंकवाद
   - विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत अपराध

114

2. NIA के अधिकार क्षेत्र का भी विस्तार किया गया–
   - NIA के पास पूरे भारत में ऐसे अपराधों की जांच के संबंध में अन्य पुलिस अधिकारियों के समान अधिकार
   - NIA के पास अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भारत के बाहर किए गए अनुसूचित अपराधों की जांच का अधिकार
   - यदि अपराध भारत में किया गया है तो केन्द्र सरकार NIA को ऐसे मामलों की जांच करने का निर्देश दे सकती है

115

समीक्षा एवं सुझाव

116

1. मानव बल में वृद्धि किया जाए (649 कर्मचारी)
2. संरचनात्मक सुविधाओं में वृद्धि किया जाय
3. केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाय
4. अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाय

117

प्रवर्तन निदेशालय

Enforcement Directorate

(ED)

118

1956

प्रवर्तन निर्देशालय

Enforcement Directorate

(ED)

119

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक बहु-अनुशासनिक संगठन जो धन-शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जाँच के लिए अधिदेशित है और जो निम्न विधियों को लागू कराती है–

1. FEMA - 1999
2. PMLA - 2003
3. FEOA - 2018

120

प्रमुख कार्य

1. FEMA – 1999 के उल्लंघन से संबंधित सूचना का संग्रहण, विकास और प्रचार-प्रसार करना
2. हवाला, विदेशी मुद्रा, धोखा-धड़ी, निर्यात आय की वसूली न किया जाना, विदेशी मुद्रा को वापस लाया जाना जैसे गतिविधियों और FEMA - 1999 के उपबंधों के उल्लंघन की जाँच पड़ताल करना

121

3. पूर्ववर्ती FERA – 1973 और FEMA – 1999 के उल्लंघन के मामलों का न्याय निर्णय करना
4. न्याय निर्णयन कार्यवाहियों का समापन पर लगाई गई दण्ड शास्तियों की वसूली करना
5. FEMA – 1999 के तहत न्याय निर्णयन, अपील और अभियोजन संबंधी मामले को निपटाना

126

सुरक्षा बल एवं एजेंसियों के समक्ष चुनौतियाँ / समस्याएँ

122

6. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक रोक के लिए कार्यवाही करना
7. Prevention of Money Laundering Act के तहत अपराध करने वालों के विरूद्ध सर्वेक्षण, तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, अभियोजन संबंधी कार्यवाही करना

127

1. पुलिस बलों की अपर्याप्त संख्या (123 / लाख) जबकि विश्व औसत 231 / लाख
2. स्वायत्ता की समस्या और बाह्य दबाव में काम करने को विवश
3. आसूचना तकनीक, हथियार, सैन्य सुरक्षा प्रणाली, सैन्य प्रशिक्षण तकनीक के आधुनिकीकरण का अभाव
4. दोषपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के कारण असंतोष

123

8. FEOA के तहत भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्तियों को कुर्क करना
9. अपराधिक कार्यवाहियों तथा PMLA के तहत आरोपित व्यक्तियों के प्रत्यार्पण और उनकी जब्ती से संबंधित मामलों में संबंधित देशों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करना

128

5. पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय की कमी
6. आसूचना की समस्या
7. भ्रष्टाचार की समस्या
8. जनता के बीच विश्वसनीयता की कमी
9. वित्त का अभाव

124

भारत में सुरक्षा बल एवं एजेंसियों के समक्ष चुनौतियाँ / समस्याएँ

129

सुरक्षा बलों की समस्या सामाधान हेतु किए गए प्रयास

125

भारत में सुरक्षा बल एवं एजेंसियों के समक्ष चुनौतियाँ / समस्याएँ

- सुरक्षा बलों से संबंधित समस्याएँ
- जाँच एजेंसियों से संबंधित समस्याएँ
- आसूचना प्रणाली से संबंधित समस्याएँ
- समस्या समाधान हेतु किए गए प्रयास

130

1. India Reserve Battalion का गठन
2. NSG, RAF, COBRA etc.
3. AFSPA - 1958
4. UAPA (Unlawful Activities Prevention Act), 1967

131

5. MCOCA - 1999, KCOCA - 2001, DCOCA GUJCOC- 2016 आदि

6. राष्ट्रीय पुलिस मिशन - 2009

7. केन्द्रीय सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण योजना, 2014

136

AFSPA - 1958

132

8. विद्रोहरोधी व आतंकरोधी (CIAT) स्कूल, 2015

9. निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम, 2005

10. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

137

AFSPA - 1958

- परिचय
- प्राप्त अधिकार
- विवाद के बिन्दु
- AFSPA समाप्त करने के पक्ष में तर्क
- AFSPA के पक्ष में तर्क
- निष्कर्ष

133

राष्ट्रीय पुलिस मिशन

138

परिचय

134

1. BPR & D का एक प्रभाग
2. 2009 में स्थापित
3. प्रमुख लक्ष्य- पुलिस बलों को अत्यधिक प्रभावी बनाना

इसके तहत 6 Micro Mission कार्यरत–

139

1. सर्वप्रथम अंग्रेजी सरकार द्वारा 1942 में पारित एवं लागू

2. सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958

135

- मानव संसाधन विकास
- सामुदायिक पुलिसिंग व्यवस्था
- संचार एवं प्रौद्योगिकी विकास
- अवसंरचना विकास
- नवीन प्रक्रियाएँ
- उपचारात्मक पुलिस व्यवस्था तथा भावी चुनौतियों की पहचान

140

प्राप्त अधिकार

141

1. किसी क्षेत्र को केवल केन्द्र द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित करके सुरक्षा बलों की तैनाती

2. बिना वारंट घर, वाहन एवं संपत्ति की छान-बीन करने एवं बिना वारंट गिरफ्तार करने, जब्ती करने एवं संदेह पर गोली चलाने का अधिकार (धारा-4)

142

3. असीमित समय तक किसी भी व्यक्ति को अपने कब्जे में रखने का अधिकार (धारा-5)

4. सुरक्षाबलों के कृत्य के विरूद्ध जाँच एवं मुकदमा चलाने हेतु केन्द्र की अनुमति जरूरी (धारा-6)

143

विवाद के बिन्दु

144

1. धारा-4, 5, 6 के प्रावधान
2. विशेष रूप से धारा-6 का प्रावधान
3. सुरक्षा बलों द्वारा इस विशेषाधिकार का दुरूपयोग
4. मानवाधिकारों का उल्लंघन व उत्पीड़न

↓

2004 में गठित B.P. Jeevan Reddy कमेटी की रिपोर्ट (2005) व 2nd ARC द्वारा इसमें सुधार की सिफारिश

145

- 2012 में UN द्वारा इसे निरस्त करने की माँग
- 2012 में उमर अब्दुल्ला एवं 2015 में मुफ्ती मो. सईद द्वारा जम्मू-कश्मीर से इस कानून को हटाने का आश्वासन
- 17 फरवरी, 2016, PDP की ओर से AFSPA हटाने की माँग

146

AFSPA समाप्त करने के पक्ष में तर्क

147

1. मानवाधिकार का उल्लंघन
2. लोगों का उत्पीड़न
3. लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत
4. शक्ति के केन्द्रीकरण को बढ़ावा

↓

8 जुलाई, 2016 को S.C. ने मणिपुर में 2000-2012 तक सुरक्षा बलों द्वारा की गयी 1528 हत्या की जाँच कराने हेतु दायर याचिका पर कहा कि– AFSPA के तहत सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग मान्य नहीं

148

AFSPA के पक्ष में तर्क

149

1. आंतरिक सुरक्षा हेतु अनिवार्य
2. व्यवहार में सफल
   - पंजाब
   - जम्मू-कश्मीर
   - त्रिपुरा

150

3. Supreme Court द्वारा इस कानून को मान्यता (Naga Peoples Movement Vs Union of India Case)
4. स्वायत्ता की आवश्यकता के अनुरूप
5. नकारात्मक परिणाम कर्त्तव्यविहिनता के परिणाम हैं

151

निष्कर्ष

152

वर्तमान भारत में आंतरिक सुरक्षा की विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए इसे समाप्त नहीं किया जाय– परन्तु B.P. Jeevan Reddy समिति की सिफारिशों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में इसकी समीक्षा अवश्य की जाय

153

गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम

The Unlawful Activities (Prevention) Act

UAPA - 1967

154

परिचय

155

1. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम भारत में गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम के उद्देश्य से लागू कानून है

मुख्य उद्देश्य

'भारत की अखंडता' और 'संप्रभुता के खिलाफ' निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए सेना को शक्तियाँ उपलब्ध कराना है

156

प्रमुख प्रावधान

157

1. 'गैरकानूनी गतिविधियों' और 'आतंकवादी कृत्यों' के कमीशन, फंडिंग और समर्थन को रोकने का प्रावधान
2. किसी संगठन को 'गैरकानूनी संघ' के रूप में नामित करने के लिए 'परिभाषाएँ' और 'नियम' बनाने का प्रावधान

158

3. यह कानून 'गैरकानूनी गतिविधि' को निम्न रूप में परिभाषित करता है–

"किसी व्यक्ति या संघ द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई 'जो किसी कार्य, शब्दों, बोले या लिखे गए, या संकेतों या दृश्य प्रतिनिधित्व के माध्यम से भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग का संघ से पृथक्करण, या जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को ऐसा पृथक्करण या पृथक्करण लाने के लिए उकसाता है या ऐसा दावा करने का समर्थन करता है।"

159

4. इसमें ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो–

"भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को अस्वीकार करती हैं, प्रश्न करती हैं, बाधित करती हैं या बाधित करने का इरादा रखती हैं, और जो भारत के खिलाफ असंतोष का कारण बनती हैं या पैदा करने का इरादा रखती हैं।"

160

5. अभियोजन के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) की अनुमति आवश्यक (धारा 13)
6. अभियोजन पक्ष के लिए, संबंधित राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक (धारा 16, 17 और 18)

161

7. आतंकवाद से प्राप्त आय को जब्त करने के लिए संबंधित राज्य सरकार के पुलिस महानिदेशक से पूर्व अनुमति की जरूरत

(2019 के बाद NIA के महानिर्देशक से अनुमति की जरूरत)

162

सजा का प्रावधान

163

1. यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी कार्य करता है, तो उसे सात साल तक की कैद और जुर्माना का प्रावधान
2. ऐसी आतंकवादी गतिविधियों, जिसमें मृत्यु हो जाए तो आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा का प्रावधान
3. अन्य आतंकवादी गतिविधियों के लिए 5 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान

164

प्रमुख संशोधन

165

- 2004 में यूएपीए में संशोधन और 'आतंकवादी गतिविधियों' को इसके दायरे में लाया गया,

(जिसके तहत लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित 34 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया)

166

- 2019 में हुए संशोधन के तहत कुछ नए प्रावधान शामिल:–

1. केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती है; यदि वह:–

167

(i) आतंकवादी कृत्य करता है या उसमें भाग लेता है,

(ii) आतंकवाद के लिए तैयारी करता है,

(iii) आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या

168

(iv) यह संशोधन केंद्र सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वह किसी को भी 'व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी' घोषित कर सकती है। (धारा 35)

169

2. अधिनियम के तहत, एक जाँच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए राज्य पुलिस महानिदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।

संशोधित नए कानून के अनुसार– यदि जाँच NIA के किसी अधिकारी द्वारा की जाती है, तो ऐसी संपत्ति को जब्त करने के लिए NIA के महानिदेशक की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

170

3. अधिनियम के तहत, मामलों की जाँच उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है।

नया संशोधन अतिरिक्त रूप से NIA के इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को अब मामलों की जाँच करने का अधिकार देता है।

171

2019 के संशोधन के बाद निश्चित तौर पर UAPA का सशक्तिकरण संभव हुआ है परन्तु इसकी कई आलोचना भी की जा रही है–

172

1. UAPA में हुए नए बदलावों के तहत NIA के पास असीमित अधिकार आ गए हैं और वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल दे सकती है।

2. केंद्र सरकार, विपक्षी दल, अल्पसंख्यक समुदाय और सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस कानून का डर दिखाकर धमका सकती है और उन्हें जेल में डाल सकती है।

173

3. यह कानून असहमति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है और इस प्रकार अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

4. बिना किसी मुकदमे के और बिना किसी न्यायिक विचार के किसी को 'आतंकवादी' के रूप में वर्गीकृत करने की शक्ति 'आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों' के खिलाफ है।

174

हाल के वर्षों में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को देखते हुए निष्कर्ष है कि UAPA भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय में UAPA को संवैधानिक माना है।

175

जाँच एजेंसियों की स्वायत्तता एवं आधुनिकीकरण हेतु किए गए प्रयास

176

जाँच एजेंसियों की स्वायत्तता व आधुनिकीकरण हेतु किए गए प्रयास

- राष्ट्रीय बम आँकड़ा केन्द्र
- NIA का गठन
- UAPA & NIA में संशोधन एवं ED का सशक्तिकरण

177

राष्ट्रीय बम आँकड़ा केन्द्र

178

1. 1996 में स्थापित– एक जाँच एजेंसी एवं आसूचना एजेंसी
2. NSG के अधीन कार्यरत एवं गुड़गाँव में स्थित विश्व स्तरीय बम आँकड़ा केन्द्र
3. प्रमुख कार्य– विस्फोट के बाद वस्तु स्थिति का अध्ययन करना
4. यह विस्फोट एवं विस्फोट की घटना का डाटा बैंक एवं 'वैश्वीक बम आँकड़ा केन्द्र' से संबंधित

179

आसूचना एजेंसियों के आधुनिकीकरण हेतु प्रयास

180

आसूचना एजेंसियों के आधुनिकीकरण हेतु प्रयास

- CCTNS, 2009
- NATGRID, 2014
- तलाश सूचना प्रणाली व आग्नेयास्त्र समन्वय प्रणाली
- MAC, 2008
- रंगीन चित्र निर्माण प्रणाली

181

CCTNS, 2009

182

Multi Agency Center (MAC) 2001

183

1. Multi Agency Center- कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर आतंकवाद और उग्रवाद से संबंधित आसूचना का मिलान, विश्लेषण एवं प्रसार करने के लिए एक समेकित प्रणाली विकसित करने हेतु MAC का 2001 में गठन और राज्य स्तर पर SMAC के गठन का प्रावधान
2. MAC, IB के तहत काम करता है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है

184

Defence Intelligence Agency (DIA) 2002

185

रक्षा खुफिया एजेंसी एक खुफिया एजेंसी है जो भारतीय सशस्त्र बलों को रक्षा और सैन्य खुफिया जानकारी प्रदान करने और समन्वय करने के लिए 2002 में गठित किया गया

186

NATGRID, 2014

187

रंगीन चित्र निर्माण प्रणाली

188

अपराधियों एवं लापता व्यक्तियों का चित्र निर्माण एवं जाली नोट संबंधी आँकड़ों का संग्रहण

189

तलाश सूचना प्रणाली एवं आग्नेयास्त्र समन्वय प्रणाली

190

अपहरण या लापता व्यक्तियों तथा चोरी हुए आग्नेयास्त्रों के बारे में केन्द्रीकृत आँकड़ा संग्रहण करना

191

सुरक्षा बलों, जाँच एजेंसियों एवं आसूचना एजेंसियों के संदर्भ में सुझाव

192

1. सुरक्षा बलों एवं कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए
2. उन्हें उन्नत प्रशिक्षण दिया जाए
3. कार्यदक्षता के आधार पर प्रोन्नति की व्यवस्था हो

193

4. एजेंसियों का राजनीतिकरण एवं राजनीतिक हितों हेतु प्रयोग बंद हो
5. एजेंसियों को तर्कसंगत स्वायत्ता दी जाए
6. आसूचना प्रणाली का आधुनिकीकरण हो (कृष्णन आयोग)
7. सुरक्षा बलों हेतु वित्तीय आपूर्ति बढ़ाया जाय

194

8. भ्रष्टाचार विरोधी कानून का समुचित क्रियान्वयन हो
9. सुरक्षा बलों को नैतिकता एवं मानवाधिकार की शिक्षा दी जाए
10. सोली सोराबजी समिति के सिफारिशों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू किया जाए

195

भारत में पुलिस सुधार

196

4 अक्टूबर 2022

खेड़ा, गुजरात में एक गरबा कार्यक्रम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस द्वारा मुस्लिम युवक को खंभे में बांधकर पिटाई

197

January 23, 2024

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

THE HINDU

Updated - January 23, 2024 11:42 pm IST - NEW DELHI

Kheda flogging incident was a case of 'police atrocity', says Supreme Court

In the 2022 incident, four Gujarat Police officers publicly flogged Muslim men after tying them to a pole in Kheda district for allegedly disrupting a garba event.

The Supreme Court on Tuesday orally observed the 2022 incident of four Gujarat Police officers publicly flogging Muslim men after tying them to a pole in Kheda district for allegedly disrupting a garba event amounted to an "atrocity".

198

भारत में पुलिस सुधार

- भारत में पुलिस बल की चुनौतियाँ
- पुलिस सुधार हेतु सुझाव
- समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयास
- समीक्षा

199

भारत में पुलिस बल की चुनौतियाँ

200

1. पुलिस बल की अपर्याप्तता
2. आधुनिकीकरण का अभाव
3. राजनीतिक दबाव
4. भ्रष्टाचार
5. औपनिवेशिक मानसिकता
6. जनविश्वास की कमी
7. वित्त का अभाव

201

समस्याओं के समाधान हेतु किए गए प्रयास

202

1. 1953 - प्रथम राष्ट्रीय अपराध सर्वेक्षण (NCS) द्वारा पुलिस सुधार एवं पुलिस कानून, 1861 की जगह नए कानून के निर्माण की सिफारिश
2. उपरोक्त संदर्भ में 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग (अध्यक्ष-धर्मबीर) का पुलिस सुधार हेतु गठन

203

3. 1996 में इस रिपोर्ट को लागू कराने हेतु प्रकाश सिंह एवं एन.के. सिंह द्वारा जनहित याचिका
4. 2 सितम्बर, 2006 में सोली सोराबजी कमेटी का गठन एवं इनकी सिफारिशों को लागू करने हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं–

204

(i) राज्य सुरक्षा आयोग का गठन हो ताकि–

- राज्य सरकारों के अवांछित प्रभाव को रोका जा सके
- सामान्य नीति एवं निर्देशों का निर्माण हो सके
- राज्य पुलिस के कार्यों के निष्पादन की सही समीक्षा हो सके

205

(ii) पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से हो तथा न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष हो

(iii) 'पुलिस अधीक्षक' एवं 'थानेदार' का कार्यकाल भी न्यूनतम 2 वर्ष हो

(iv) कानून व्यवस्था एवं जाँच कार्य को अलग-अलग किया जाय

206

(v) एक पुलिस 'अवस्थापना बोर्ड' का गठन हो जो DSP और उससे नीचे के अधिकारियों की प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं नियुक्ति के बारे में निर्णय ले एवं उससे ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की सिफारिश करें

207

(vi) DSP एवं उससे ऊपर के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध लोक शिकायतों की जाँच हेतु राज्य स्तर पर तथा उससे नीचे के अधिकारियों के लिए जिला स्तर पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन हो

208

(vii) केन्द्र स्तर पर एक 'राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग' का गठन हो जो पुलिस संस्थाओं के प्रधानों के चयन एवं पदस्थापना के लिए पैनल तैयार करेगा एवं न्यूनतम कार्यकाल 2 वर्ष सुनिश्चित करेगा

209

नोट:-

✓ 2008 में जस्टिस थॉमस समिति का गठन
✓ 2013 में जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट
✓ दिसम्बर, 2016 तक 17 राज्यों द्वारा अपने नए पुलिस अधिनियम बनाए गए, परन्तु उनमें उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से भिन्नता है

210

पुलिस सुधार हेतु सुझाव

211

1. पुलिस बल की संख्या में वृद्धि एवं आधुनिकीकरण
2. पुलिस एवं जाँच विभाग का पृथक्ककरण
3. नैतिक शिक्षा, मानवाधिकार शिक्षा तथा संवेदनशीलता का विकास
4. 'समुदायिक पुलिसिंग' एवं 'मित्र पुलिस' का निर्माण
5. योग्यता, कार्य निष्पादन एवं दक्षता आधारित प्रोन्नति की व्यवस्था हो

212

6. पुलिस कार्यप्रणाली का आधुनिकीकरण हो; इसे पारदर्शी बनाया जाए तथा बीट प्रणाली को पुनः स्थापित किया जाए
7. महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए
8. सोली सोराबजी कमेटी की सिफारिशों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू किया जाए

213

पुलिस सुधार हेतु समीक्षा

214

1. दिल्ली पुलिस द्वारा WhatsApp पर Anti Corruption Helpline की शुरूआत
2. दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस कार्य एवं जाँच कार्य को विभाजित करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ
3. केरल द्वारा 'सामुदायिक पुलिसिंग' प्रारंभ
4. तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र द्वारा अन्य देशों के पुलिस अकादमी के साथ संबद्धता बनाकर सुधार का प्रयास
5. परन्तु ये प्रयास अभी भी अपर्याप्त एवं सीमित हैं

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR